दिसंबर 21, 2020 **कार्यकारी आदेश 2020-75**

<u>ट्रेड्स कर्मचारियों को इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग की नियुक्ति से इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग की नियुक्ति में वापस भेजने को सुगम बनाने का कार्यकारी आदेश</u>

जबकि, इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं (सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़, "CMS") विभाग और इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़, "IDHS"), दोनों का यह मानना है कि IDHS इकाइयों (राज्य द्वारा संचालित मनोविकारी अस्पतालों और राज्य द्वारा संचालित विकास केंद्रों) में कार्य करने वाले, परंतु CMS कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले ट्रेड्स कर्मचारियों ("ट्रेड्स कर्मचारी") को IDHS कर्मचारी के रूप में IDHS में वापस भेजना, दोनो विभागों और राज्य के सर्वश्रेष्ठ हित में है; और,

जबकि, CMS और IDHS, दोनों का यह मानना है कि ऐसा करना संचालन और सुप्रचालन (लॉजिस्टिक्स) की दृष्टि से लाभकारी होगा, क्योंकि ये ट्रेड्स कर्मचारी इस समय IDHS में एकमात्र ऑन-साइट ग़ैर-IDHS कर्मचारी हैं, जिससे उन IDHS और CMS कर्मचारियों के बीच अनावश्यक चुनौतियां और विसंगतियां उत्पन्न होती हैं जो IDHS इकाइयों में ऑन-साइट हैं; और,

जबकि, राज्यपाल का कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ द गवर्नर) CMS के और IDHS के आकलन का समर्थन करता है एवं उससे सहमत है; और,

जबकि, कार्यकारी आदेशों 2003-10 और 2010-10 ने एक अप्रैल 2011 अंतरसरकारी करार (इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट, "IGA") के अनुसरण में इन कर्मचारियों के CMS में मूल स्थानांतरण के लिए आधार प्रदान किया था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2003-10 ने यह उपबंधित किया था कि, "राज्यपाल (गवर्नर) के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी प्रत्येक अभिकरण, कार्यालय, संभाग, विभाग, ब्यूरो, मंडल और आयोग के लिए … इकाई प्रबंधन का कार्य केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समेकित किया जाएगा।" § I.A; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2003-10 ने यहां तक कहा कि, "राज्यपाल (गवर्नर) के कार्यालय के और कार्यपालक अभिकरणों के उपयुक्त स्टाफ़ के साथ परामर्श करते हुए, केंद्रीय प्रबंधन सेवाओं के निदेशक यह निर्धारण करेंगे कि किन इकाइयों का प्रबंधन … केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।" § II.A; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2003-10 को अंततः संविधि में एक उपबंध के साथ चिरायु बना दिया गया था और वह उपबंध CMS के निदेशक को इन कर्मचारियों को CMS में स्थानांतरित करने का निदेश देने की अनुमति देता है परंतु निदेशक के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं करता है। यह संविधि, 20 ILCS 405/405-415, आंशिक रूप से यह कथन करती है कि:

> किसी भी अन्य प्रतिकूल कानून के बावजूद, केंद्रीय प्रबंधन सेवाओं के निदेशक कार्यकारी प्रबंधन 10 (2003) के तहत
> स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत उन सुविधाओं और सुविधा प्रबंधन कार्यों के केंद्रीय प्रबंधन सेवाओं के विभाग को
> स्थानांतरण निर्देशित कर <u>सकते हैं</u>।

20 ILCS 405/405-415(a) (बल दिया गया); और,

जबकि, हालांकि, CMS और IDHS में से किसी ने भी कार्यकारी आदेश 2003-10 या 20 ILCS 405/405-415 में से किसी पर भी, जुलाई 2010 में कार्यकारी आदेश 2010-10 जारी किए जाने के बाद तक कदम नहीं उठाया था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2010-10 के लागू अंश यह कथन करते हैं कि, "केंद्रीकृत प्रबंधन और लागत-बचत प्रदान करने के लिए सभी अभिकरण, CMS के साथ अंतरसरकारी करारों के माध्यम से, या फिर GOMB के निदेशक के निदेशों के अनुसार अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से, अपनी इकाई प्रबंधन सेवाओं और स्टाफ़ को समेकित करेंगे।" प्रवर्तन, § II; और,

जबकि, CMS और IDHS ने अप्रैल 2011 IGA करके कार्यकारी आदेश 2010-10 का पालन किया था जिसके अंतर्गत IDHS इकाइयों में स्थित ट्रेड्स कर्मचारियों की नियुक्ति को IDHS से CMS में स्थानांतरित किया गया था; और,

जबकि, यदि कार्यकारी आदेश 2003-10 और 2010-10 निरस्त कर दिए जाते, तो CMS और IDHS अप्रैल 2011 IGA को समाप्त कर सकते थे या किसी उत्तरवर्ती IGA से उसका अधिक्रमण कर सकते थे और ट्रेड्स कर्मचारियों को IDHS कर्मचारियों के रूप में IDHS में वापस ला सकते थे; और,

जबकि, कार्यकारी आदेशों 2003-10 और 2010-10 के अन्य सभी उपबंधों को या तो संविधि में चिरायु बना दिया गया है या वे अब इस प्रकार विवाद्य हैं (उदा. कार्यकारी आदेश 2010-10 में दी गईं वित्त वर्ष 2011 आवश्यकताएं), कि दोनों कार्यकारी आदेशों को उनकी संपूर्णता में निरस्त किया जा सकता है या उनका अधिक्रमण किया जा सकता है;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझे दिए गए कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

I. ट्रेड्स कर्मचारियों को CMS से IDHS में वापस लाना संभव बनाने के लिए कार्यकारी आदेशों 2003-10 और 2010-10 का निरसन

कार्यकारी आदेशों 2003-10 और 2010-10 के वे एकमात्र उपबंध जो न तो विवाद्य हैं और न संविधि में चिरायु बना दिए गए हैं, वे उपबंध हैं जो ट्रेड्स कर्मचारियों के IDHS से CMS में स्थानांतरण से संबंध रखते हैं। ट्रेड्स कर्मचारियों को CMS से IDHS में वापस लाने के लिए, कार्यकारी आदेशों 2003-10 और 2010-10 को उनकी संपूर्णता में निरस्त किया जाता है।

II. व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

यह कार्यकारी आदेश किसी भी संघीय कानून या विनियम, राज्य संविधि या विनियम, या सामूहिक मोलभाव करार का न तो उल्लंघन करता है और न यह अर्थ निकाला जाएगा कि उक्त आदेश ऐसा कोई उल्लंघन करता है। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य अभिकरण की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य अभिकरण के पुनः समनुदेशन या पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

III. पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान की जगह लेेता है।

IV. विच्छेदनीयता खण्ड

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

V. प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

____
जेबी प्रित्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा जारी: दिसंबर 21, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दायर: दिसंबर 21, 2020